पत्रांकः–7 / वेतन–54 / 2022–401

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अजय सतीश भेंगरा,
उप सचिव, शिक्षा विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं ह०)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 25/03/2026

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत राज्य के मध्य विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय भुगतान हेतु द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त राशि 15,10,00,000/– (पन्द्रह करोड़ दस लाख रूपये मात्र) की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।**

बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2012 एवं बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2012 सम्प्रति क्रमशः बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा–शर्त) नियमावली, 2020 एवं बिहार नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा–शर्त) नियमावली, 2020 के रूप में प्रभावी है, जिसमें यह प्रावधानित है कि मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति की जाएगी। इस क्रम में बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 एवं तदालोक में अधिसूचित उक्त नियमावली, 2020 के तहत 8000/– (आठ हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह की दर के नियत वेतन 200 (दो सौ रूपये मात्र) वार्षिक वेतन वृद्धि सहित राज्य के मध्य विद्यालयों में, जहाँ 100 से अधिक छात्र नामांकित हैं, में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के 8386 स्वीकृत पदों में से 2351 पदों पर शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। अद्यतन 2100 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक कार्यरत है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में इन कार्यरत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय भुगतान हेतु मूल बजटीय उपबंध की राशि 35,41,62,000/–(पैंतीस करोड़ एकतालीस लाख बासठ हजार रूपये मात्र) का प्रावधान है। उक्त मूल बजटीय उपबंध की राशि में से विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–121 दिनांक–26.06.2025 एवं शुद्धि पत्रांक–202 दिनांक–22.09.2025 द्वारा तत्काल राशि 17,70,81,000/–(सत्रह करोड़ सत्तर लाख इक्कासी हजार रूपये मात्र) एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–298 दिनांक–29.12.2025 द्वारा मूल बजटीय उपबंध में से शेष राशि 17,70,81,000/–(सत्रह करोड़ सत्तर लाख इक्कासी हजार रूपये मात्र) की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. अंकनीय है कि विभागीय संकल्प संख्या–121 दिनांक–26.06.2025 द्वारा राज्य के मध्य विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों (अंशकालिक) को राज्य सरकार द्वारा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान वेतन मद में पूर्व से दी जा

रही मानदेय को 01 अगस्त 2025 से ₹8000/–प्रतिमाह एवं ₹200/–प्रतिवर्ष वार्षिक वेतन वृद्धि से ₹16000/–प्रतिमाह एवं ₹400/–प्रतिवर्ष वार्षिक वेतन वृद्धि में बढ़ोतरी की गयी है। इस प्रकार कुल कार्यरत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक को मानदेय के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में 01 अगस्त 2025 से ₹8000/–(आठ हजार रु० मात्र) प्रति माह वृद्धि करने पर आठ माह के लिए कुल ₹15,04,00,000/–(पन्द्रह करोड़ चार लाख रु० मात्र) का व्यय होने की संभावना है।

उक्त के आलोक में राज्य के मध्य विद्यालय में कार्यरत शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से प्राप्त कुल राशि 15,10,00,000/– (पन्द्रह करोड़ दस लाख रूपये मात्र) की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. वित्तीय वर्ष 2025–2026 में राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के वेतनादि के भुगतान हेतु विभिन्न शीर्षों में निम्नवत प्रावधानित राशि में से राशि की निकासी की जाएगी :–

(i) उक्त स्वीकृत राशि अन्तर्गत 30,00,000/–(तीस लाख रूपये) मात्र राशि की निकासी मुख्य शीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–01 प्रारंभिक शिक्षा लघु शीर्ष–191 नगर निगम को सहायता, माँग संख्या–21, उप शीर्ष–0002 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के समेकित भुगतान विपत्र कोड–21–2202011910002, विषय शीर्ष 0002–31–04 सहायक अनुदान–वेतन से किया जायेगा।

(ii) उक्त स्वीकृत राशि अन्तर्गत 30,00,000/– (तीस लाख रूपये) मात्र राशि की निकासी मुख्य शीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष– 01 प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष–192 नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता माँग संख्या–21, उप शीर्ष–0002 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के समेकित भुगतान विपत्र कोड–21–2202011920002, विषय शीर्ष 0002–31–04 सहायक अनुदान–वेतन से किया जायेगा।

(iii) उक्त स्वीकृत राशि अन्तर्गत 14,50,00,000/– (चौदह करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र राशि की निकासी मुख्य शीर्ष–2202 सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष–01 प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष– 197 ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता, माँग संख्या–21, उप शीर्ष–0003 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के समेकित भुगतान विपत्र कोड–21–2202011970003, विषय शीर्ष 0003–31–04 सहायक अनुदान–वेतन से किया जायेगा।

4. जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उक्त आवंटन से मात्र वैधानिक रूप से नियुक्त शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के वेतन का भुगतान करेंगे एवं भुगतान की व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी।

5. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा वित्त विभागीय संकल्प सं0–9736 दिनांक–19.10.2011 की कंडिका–2 (क) के आलोक में 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश से संबंधित राशि का सामंजन महालेखाकार से कराकर ही इस आवंटित राशि का व्यय किया जायेगा।

6. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा जिला के कोषागार से CFMS के माध्यम से राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक–8244 दिनांक 02.08.2010 की कंडिका 2

(घ) के अनुसार नियोजन इकाइयों से "पूर्व प्राप्ति रसीद" प्राप्त कर की जायेगी । जिले के लिए चयनित नोडल बैंक के माध्यम से संबंधित नियोजन ईकाई को राशि उपलब्ध करा दी जायेगी। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का वेतन भुगतान नोडल बैंक के माध्यम से विभागीय निदेश के आलोक में किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के पत्रांक 7355 वि0 (2) दिनांक–05.10.2007 के आलोक में उक्त राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

8. राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में महालेखाकार, बिहार को भेजा जायेगा एवं उसकी प्रति विभाग को भी मदवार व्यय विवरणी के साथ उपलब्ध करायी जायेगी।

9. शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का वेतनादि भुगतान सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा तथा राशि निकासी एवं व्यय वास्तविक भुगतेय राशि के आधार पर वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वी0 दिनांक–17.04.1998 के कंडिका–2 में प्रावधानित बंधेज के अंतर्गत एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

10. राशि का विकलन किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

11. राशि का निकासी में वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि0 दिनांक–17.04.1998 एवं वित्त विभागीय संकल्प 12888 दिनांक 03.12.2024 तथा 4443 दिनांक 14.06.2018 तथा समय–समय पर वित्त विभागीय संकल्प/परिपत्र/नियम का अनुपालन करना चाहेंगे।

12. स्वीकृत्यादेश पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका के पृष्ठ संख्या–86/टि0 पर प्राप्त है।

13. उक्त मद की राशि की स्वीकृति पर वित्त विभाग की सहमति संचिका संख्या–07/वेतन–54/2022 के पृष्ठ संख्या–112–114/टि0 पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–
(अजय सतीश भेंगरा)
उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक :–7/वेतन–54/2022–401/ पटना, दिनांक:–25/03/2026

प्रतिलिपि :–सचिव, संसाधन, वित्त विभाग/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, सैदपुर, पटना/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना/लेखा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/ बजट–सह–आय–व्यय पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/लेखा शाखा/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, उपयोगिता कोषांग, शिक्षा विभाग, आई0टी0मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.3.26
उप सचिव, शिक्षा विभाग।

क्रम संख्या	जिला का नाम	21–2202–01–191–0002	21–2202–01–192–0002	21–2202–01–193–0002	21–2202–01–197–0003
1	बांका				500709
2	शेखपुरा				193780
3	किशनगंज		66200		2872706
4	सारण	26000			20000
5	गोपालगंज		80000		6968000
6	पूर्णियाँ	116200			3718400
7	बेगूसराय	112080	23600		1228195
8	मुजफ्फरपुर				1377589
9	पटना	512000	480000		3264000
10	रोहतास	350000			1748000
11	कैमूर				150000
12	नालंदा				338147

25.3.26